

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

जसवंत सिंह और गिरीश अग्निहोत्री से पहले, जे. जे.

जोगेन्द्र व् अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी 2021 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5079

9 मार्च, 2021

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 226 सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश 2, नियम 2-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियम) नियम, 1964, नियम 12 (4)-घर के अनाधिकृत निर्माण को नियमित करना-याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत के स्वामित्व में गांव के 'लाल डोरा' और 'फिरनी' के बीच स्थित भूमि पर घर का निर्माण किया- अनाधिकृत कब्जे के तहत भूमि के लिए सह-हिस्सेदार की अवधारणा का दावा नहीं किया जा सकता है-सह-हिस्सेदार की अवधारणा स्वामित्व है न कि अतिक्रमणकर्ता जो नियम 12 (4) के प्रावधानों को लागू करके अपने अनाधिकृत कब्जे को नियमित करना चाहते हैं-याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं ने गाँव के 'लाल डोरा' और 'फिरनी' के बीच स्थित भूमि पर अपने घरों का निर्माण किया, जो कि ग्राम पंचायत, ग्राम सिरसद, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत के स्वामित्व में आती है। उन्होंने एक रोहतास के साथ

ग्राम पंचायत को पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियम) नियम, 1964 (संक्षेप में "1964 नियम") के नियम 12 (4) के तहत उन्हें कलेक्टर दर पर बेचकर ग्राम पंचायत की भूमि पर अपने अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए एक विरोधपत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत ने पिछले 2 वर्षों से ग्रामीणों के कब्जे में रही ग्राम पंचायत की भूमि को बेचने का निर्णय लेते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जिस पर उन्होंने अपने घरों का निर्माण किया था और भूमि मार्ग में बाधा नहीं डालती थी और कलेक्टर दर पर लाल डोरा और फिरनी के बीच गिरती थी। चूंकि उनका मामला सरकार के समक्ष लंबित था, इसलिए उन्होंने 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14,933 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त रिट याचिका को प्रारंभिक चरण में सभी याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय लेने और 1964 के नियमों के नियम 12 (4) में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10697 में पारित किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त, सोनीपत को निर्देश देते हुए एक आदेश द्वारा निपटाया गया था।

2014 का, शीर्षक "राम चंदर उपनाम चंदर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य"।

(पैरा 2)

जोगेन्दर व् अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

723

अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

अभिनिर्धारित किया कि पहला और प्रारंभिक मुद्दा जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उपायुक्त के दिनांक 06.10.2020 (P-8) के आदेश को इस न्यायालय (P-9) के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय (P-10) द्वारा बरकरार रखा गया था और इस प्रकार यह अंतिम रूप ले चुका है। मान लीजिए, अतिक्रमण की गई भूमि, जिसे अन्य व्यक्तियों द्वारा साझा किया जा रहा है/कब्जा किया जा रहा है, के संबंध में कोई याचिका कभी भी उपायुक्त के समक्ष नहीं दी गई थी, और न ही इसे मुकदमे के पिछले दौर में अदालतों के समक्ष उठाया गया था। इसलिए इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के साथ-साथ रोक के सिद्धांत द्वारा भी वर्जित किया गया है।

(पैरा 9) अभिनिर्धारित किया कि, वर्तमान रिट याचिका न केवल तुच्छ और किसी भी योग्यता से रहित है, बल्कि कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग भी है, और इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 11)

ऋषि मल्होत्रा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

श्रुति जैन गोयल, डिप्टी ए. जी., हरियाणा

जसवंत सिंह, जे।

(1) वर्तमान याचिका दो याचिकाकर्ताओं, जोगिंदर और करमवीर द्वारा दायर की गई है, जिसमें सोनीपत के उपायुक्त (पंचायत) द्वारा पारित दिनांकित (आईडी1) (अनुलग्नक पी-8) को रद्द आदेश के लिए सरशियोरेराई जारी आदेश की मांग की गई है, जिसमें पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियम) नियम, 1964 के नियम 12 (4) के तहत शामिल भूमि पर उनके घरों के निर्माण के उनके दावे को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के आलोक में प्रतिवादी को उक्त नियम के तहत अपने दावे पर विचार करने परमादेश देने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी करने की मांग की है।

(2) संक्षेप में इस मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने गांव के 'लाल डोरा' और 'फिरनी' के बीच स्थित भूमि पर अपने घरों का निर्माण किया था, जो कि ग्राम पंचायत, ग्राम सिरसद, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत के स्वामित्व में आती है। उन्होंने एक रोहतास के साथ ग्राम पंचायत को पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियम) नियम, 1964 (संक्षेप में "1964 नियम") के नियम 12 (4) के तहत उन्हें कलेक्टर दर पर बेचकर ग्राम पंचायत की भूमि पर अपने अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। ग्राम 724

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

पंचायत ने पिछले 2 वर्षों से ग्रामीणों के कब्जे में रही ग्राम पंचायत की भूमि को बेचने का निर्णय लेते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जिस पर उन्होंने अपने घरों का

निर्माण किया था और भूमि मार्ग में बाधा नहीं डालती थी और कलेक्टर दर पर लाल डोरा और फिरनी के बीच गिरती थी। चूंकि उनका मामला सरकार के समक्ष लंबित था, इसलिए उन्होंने 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14,933 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त रिट याचिका का प्रारंभिक चरण में एक आदेश द्वारा निपटान किया गया था जिसमें उपायुक्त, सोनीपत को निर्देश दिया गया था कि वे सभी याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय लें और 1964 के नियमों के नियम 12 (4) में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10697 में पारित किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए।

### **2014 , "राम चंद्र उपनाम चंदर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" शीर्षक।**

(3) सोनीपत के उपायुक्त ने तीनों याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद और ग्राम पंचायत, सिरसाद द्वारा पारित 05.09.2016 के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, खंड विकास और पंचायत अधिकारी (BDPO), मुंडलाना से एक रिपोर्ट मंगवाई। बी. डी. पी. ओ. ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (जोगिंदर) को 757.37 वर्ग गज मापने वाले क्षेत्र के अवैध कब्जे में पाया गया, याचिकाकर्ता संख्या 2 (करमवीर) को 239.48 वर्ग गज मापने वाले क्षेत्र के अवैध कब्जे में पाया गया। यार्ड और एक अन्य व्यक्ति रोहतास (जो वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता नहीं है) को 1387.18 वर्ग यार्ड मापने वाले क्षेत्र के अवैध कब्जे में पाया गया। सोनीपत के उपायुक्त ने याचिकाआदेशताओं के दावे को इस आधार पर खारिज आदेश दिया कि बी. डी. पी. ओ. की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाआदेशताओं द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र 1964 के नियमों के नियम 12 (4) के अंतर्गत नहीं आता है,

जिसमें अधिकतम 200 वर्ग गज तक के क्षेत्र की बिक्री का प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता, रैंक अतिक्रमणकारी होने के नाते नियम 1 (4) के तहत विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी याचिका सं 1132 में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए।

2011 , शीर्षक "जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य" ।

(4) याचिकाकर्ताओं ने 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 17869 दाखिल किया, जिसमें उपायुक्त, सोनीपत द्वारा पारित दिनांकित 06.10.2020 आदेश को चुनौती दी गई, जो वर्तमान याचिका का विषय भी है। यह न्यायालय नियम 12 द्वारा समर्थित वैधानिक प्रावधान की जांच करने के बाद

(4) और राम चंदर और जगपाल सिंह के मामले में फैसला

(उपर्युक्त), याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया, दिनांक 10.11.2020 (पी-9) के एक विस्तृत निर्णय के माध्यम से उपायुक्त के दिनांकित 06.10.2020 के आदेश को बरकरार रखा गया और किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

जोगेंद्र व् अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

725

अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

निर्णय (पी-9) का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:- “ नियम, 1964 का नियम 12 (4) हाथ में मामले में विवाद को हल करने के लिए प्रासंगिक है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“नियम 12 (1) एक पंचायत, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, अधिनियम के तहत उसमें निहित जमीना शमिलात देह में बेच सकती है -

ग्राम पंचायत [राज्य सरकार] की पूर्व स्वीकृति से, गाँव के निवासियों को, जिन्होंने 31 मार्च, 2000 को या उससे पहले अपने घरों का निर्माण किया है, अपनी गैर-कृषि योग्य भूमि बेच सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात और राहगीरों को कोई बाधा नहीं होगी, साथ ही निर्मित क्षेत्र का 25 प्रतिशत तक खुला स्थान या अधिकतम 200 वर्ग गज तक का क्षेत्र कलेक्टर दर से कम नहीं होगा [आधार दर या बाजार दर, जो भी अधिक हो]

नियम, 1964 के नियम 12 के प्रावधान 4 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत राज्य सरकार की मंजूरी से गाँव के निवासियों को अपनी गैर-कृषि योग्य भूमि बेच सकती है, जिन्होंने अपने घरों का निर्माण 31.03.2000 पर या उससे पहले किया है और अधिकतम 200 वर्ग गज तक निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक खुली जगह के साथ यातायात और राहगीरों के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और भूमि की कीमत कलेक्टर दर से कम नहीं होनी चाहिए, जिसे आगे आधार दर या बाजार दर, जो भी अधिक हो, के रूप में स्पष्ट किया गया है। याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करते हुए दिनांक 06.10.2020 के विवादित आदेश के माध्यम से, यह विशेष रूप से उल्लेख किया

गया है कि सभी याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था और उन्हें सुनाया गया था। उनके बयान भी दर्ज किए गए और प्रस्ताव पारित करने को सक्षम प्राधिकारी यानी उपायुक्त, सोनीपत के संज्ञान में भी लाया गया। याचिकाकर्ताओं ने राम चंदर के मामले (उपरोक्त) के फैसले की प्रति भी प्रस्तुत की। अभिलेख और स्थल रिपोर्ट के अवलोकन पर, जिसे संबंधित स्थान पर जाकर सत्यापित किया गया था, याचिकाकर्ता-जोगिंदर को 757.37 वर्ग गज के क्षेत्र पर अवैध कब्जे में पाया गया और याचिकाकर्ता-करमवीर को भी 239.48 वर्ग गज के क्षेत्र पर अवैध कब्जे में पाया गया। ये सभी दस्तावेज

**प्रतिवादी 726 द्वारा विचार में लिया गया था**

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

प्राधिकरण और नियम, 1964 के नियम 12 (4) के प्रावधानों पर विचार करके यह पाया गया कि याचिकाकर्ता अधिकतम 200 वर्ग गज तक आवश्यक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अवैध कब्जे में थे। दोनों याचिकाकर्ताओं के पास जमीन थी, जो 200 वर्ग गज से अधिक थी। विवादित आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जगपाल सिंह के मामले (उपरोक्त) में दिए गए फैसले के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को अतिक्रमणकारी पाया गया था। दोनों याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत के साथ मिलीभगत में अवैध कब्जे में थे।

(जोर दिया गया)



(5) 2021 के एस. विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 1829 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में दिनांकित 10.11.2020 का निर्णय लिया गया था। वहां यह तर्क दिया गया था कि सक्षम प्राधिकारी के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने 1964 के नियमों के नियम 12 (4) को गलत तरीके से पढ़ा अन्य बातों के साथ साथ गलत व्याख्या की है। यह प्रस्तुत किया गया था कि नियम 12 (4) निर्मित घरों के संबंध में किसी भी क्षेत्र को निर्दिष्ट या सीमित नहीं करता है और यह अधिकतम 200 वर्ग गज तक निर्मित क्षेत्र के केवल 25 प्रतिशत खुले स्थान की सीमा बनाता है। इसलिए, भले ही अनाधिकृत कब्जे का कुल क्षेत्र 200 वर्ग गज से अधिक हो, यानी निर्मित क्षेत्र और खुला स्थान क्षेत्र, नियम 12 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे नियमित करने की आवश्यकता है। तथापि, उक्त तर्क को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 7 और 8 में दिनांक 5.2.2021 (P-10) के निर्णय के माध्यम से निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था:-

“7. ....1964 के नियम 12 (4) को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर

नियमों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे को नियमित किया जा सकता है बशर्ते अवैध कब्जे का क्षेत्र अधिकतम 200 वर्ग गज तक हो। इसमें निर्मित क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र का 25 प्रतिशत तक खुला स्थान शामिल है। इसलिए, नियम 12 (4) के निष्पक्ष अध्ययन पर, निर्मित क्षेत्र सहित अधिकतम 200 वर्ग गज तक के क्षेत्र पर अवैध कब्जे के मामले में, निकटवर्ती क्षेत्र और खुले स्थान क्षेत्र को नियमित किया जा सकता है और संग्राहक दर (न्यूनतम दर या बाजार दर, जो भी अधिक हो) से कम नहीं पर बेचा जा सकता है।

200 वर्ग गज की सीमा रखने के पीछे विचार यह हो सकता है कि अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि का छोटा क्षेत्र

इसे नियमित/बेचा जा सकता है। यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में ऐसा हो सकता है कि जोगेंद्र व अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

727

अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

किसी व्यक्ति ने 195 वर्ग गज पर निर्माण किया है और 500 वर्ग गज क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है, उस मामले में, हालांकि उसने लगभग 700 वर्ग गज के कुल क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, वह 1964 के नियमों के नियम 12 (4) के तहत भूमि खरीदने का हकदार होगा, जो नियम 12 (4) का इरादा नहीं है। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों का यह विचार उचित है कि चूंकि संबंधित याचिकाकर्ता अधिकतम 200 वर्ग गज तक आवश्यक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अवैध कब्जे में हैं, इसलिए वे नियम 12 (4) के लाभ के हकदार नहीं हैं।

8. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सरकारी भूमि/पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे वाले व्यक्ति, अधिकार के रूप में, नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। सरकारी भूमि/पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे को नियमित करना केवल राज्य सरकार की नीति और नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही हो सकता है। यदि यह पाया जाता है कि नियमितीकरण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, तो सरकारी

भूमि/पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे वाले ऐसे व्यक्ति नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं।  
जैसा कि इस न्यायालय ने ओडिशा राज्य बनाम के मामले में हाल के फैसले में कहा  
है।

बिचित्रानंद दास, (2020) 12 एस. सी. सी. 649 में रिपोर्ट किया गया, और  
पॉलिसी का लाभ लेने वाले आवेदक को इसकी शर्तों का पालन करना होगा।वर्तमान  
मामले में, राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नीति, जो 1964 के नियमों के नियम 12  
(4) में समाप्त हुई, में विशेष रूप से इस आशय की शर्त थी कि अधिकतम 200 वर्ग गज  
तक के अनाधिकृत कब्जे को नियमित करने और 1964 के नियमों के नियम 12 (4) में  
उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने पर ही बेचा जा सकता है।याचिकाकर्ताओं को 200  
वर्ग गज से अधिक के क्षेत्र पर अवैध कब्जे में पाया गया है।इसलिए, नियम 12 (4) में  
उल्लिखित शर्तों में से एक संतुष्ट नहीं है और इसलिए दोनों, सक्षम प्राधिकारी के साथ-  
साथ उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता 1964 के नियमों के  
नियम 12 (4) के प्रावधानों के लाभ के हकदार नहीं हैं।हम उच्च न्यायालय के साथ-  
साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।”

**(जोर दिया गया)**

728

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

(6) इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ सक्षम  
प्राधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की।यह आगे ग्राम

सभा/पंचायत/शामलात भूमि से अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के संबंध में जगपाल सिंह के मामले (उपरोक्त) में की गई टिप्पणियों और निर्देशों को दोहराया जाता है।

(7) वर्तमान रिट याचिका में, फिर से उपायुक्त के दिनांक 06.10.2020 (P-8) के आदेश को चुनौती दी गई है, हालांकि, एक आधार पेश करके जो पिछली मुकदमेबाजी के लिए विदेशी है। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि सोनीपत के उपायुक्त द्वारा पारित आदेश गलत है क्योंकि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (जोगेन्द्र) के कब्जे में कथित रूप से 757.37 वर्ग गज का कुल क्षेत्र वास्तव में चार सह-भागीदारों द्वारा साझा किया जा रहा है और प्रत्येक के पास 200 वर्ग गज से कम क्षेत्र है। इसी तरह, याचिकाकर्ता संख्या 2 (करमवीर), जो कथित रूप से 239.48 वर्ग गज मापने वाले क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, दो सह-भागीदारों द्वारा साझा किया जा रहा है और याचिकाकर्ता संख्या 2 केवल 141.29 वर्ग गज पर कब्जा कर रहा है। उक्त तर्क के समर्थन में, संलग्नक पी-13 पर भरोसा रखा गया है, जो एक गैर-दिनांकित दस्तावेज है, जिसे ग्राम पंचायत, सिरसाद द्वारा तैयार याचिकाकर्ताओं के अनाधिकृत कब्जे में भूमि की पुनः मापन रिपोर्ट होने का दावा किया गया है। (8) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के वकील को भी सुना है, जो अग्रिम नोटिस पर हैं और उन्होंने पेपर-बुक की जांच की है।

(9) पहला और प्रारंभिक मुद्दा जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उपायुक्त के दिनांक 06.10.2020 (P-8) के आदेश को इस न्यायालय (P-9) के साथ-साथ सर्वोच्च

न्यायालय (P-10) द्वारा बरकरार रखा गया था और इस प्रकार यह अंतिम रूप ले चुका है। मान लीजिए, अतिक्रमण की गई भूमि, जिसे अन्य व्यक्तियों द्वारा साझा किया जा रहा है/कब्जा किया जा रहा है, के संबंध में कोई याचिका कभी भी उपायुक्त के समक्ष नहीं ली गई थी, और न ही इसे मुकदमे के पिछले दौर में अदालतों के समक्ष उठाया गया था। इसलिए इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के साथ-साथ रोक के सिद्धांत द्वारा भी वर्जित किया गया है।

(10) दूसरा मुद्दा यह है कि क्या सह-हिस्सेदार की अवधारणा को अनाधिकृत कब्जे के तहत भूमि के आवंटन/बिक्री के लिए विचार का दावा करने के लिए सेवा में लगाया जा सकता है। हमारे विचार में, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि सह-हिस्सेदार की अवधारणा स्वामित्व से संबंधित है न कि अतिक्रमणकारियों से जो नियम 12 (4) के प्रावधानों को लागू करके अपने गैर-अधिकृत कब्जे को नियमित करना चाहते हैं। इसके अलावा, यह फिर से एक स्वीकृत तथ्य है कि यह केवल याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने जोगेन्द्र और एक और बनाम हरियाणा राज्य और

729

अन्य (जसवंत सिंह, जे.)


अतिक्रमण की गई भूमि की बिक्री के लिए 1964 के नियमों के नियम 12 (4) के तहत ग्राम पंचायत को प्रतिनिधित्व और कथित सह-भागीदारों में से कोई भी इस संबंध में अपने व्यक्तिगत अधिकारों का दावा करने वाले आवेदन या कार्यवाही में पक्षकार नहीं था।

(11) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि वर्तमान रिट याचिका न केवल तुच्छ और किसी भी योग्यता से रहित है, बल्कि कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग भी है, और इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

हस्ताक्षर:-



अनुवादक:- सुशील कुमार